संख्या–1493/नौ–7–2023–41(ज)/2021

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 04 सितंबर, 2023**

विषयः नगरीय निकायों में निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण हेतु चलाये जा रहें कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थलों के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत अवगत कराना है कि नगरीय निकायों में निराश्रित/बेसहारा गौवंशों के संरक्षण हेतु चलाये जा रहें कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थलों के संचालन हेतु पार्श्वांकित विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं। हाल ही में **मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कान्हा गौशाला प्रबन्धन मैनुअल का भी अनावरण** किया गया है,

संख्या–1702/नौ–7–2021–41(ज)/2021 दिनांक 09.12.2021
संख्या–1752/नौ–7–2021–41(ज)/2021 दिनांक 15.12.2021
संख्या–21/नौ–7–2022–41(ज)/2021 दिनांक 05.01.2022
संख्या–1901/नौ–7–2022–41(ज)/2021 दिनांक 06.12.2022
संख्या–1976/नौ–7–2022–41(ज)/2021 दिनांक 26.12.2022

जिसमें गौशाला प्रबन्धन हेतु समस्त दिशा निर्देश समाहित किया गया है तथा उक्त मैनुअल को समस्त निकायों को उपलब्ध कराया गया है। निकायों में संचालित कतिपय गौशालाओं के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि **शासन द्वारा निरंतर निर्गत किये जा रहे निर्देशों के पश्चात भी गौशालाओं में साफ–सफाई चारे–भूसे, धूप/वर्षा व ठंड से बचाव एवं वृक्षारोपण इत्यादि का समुचित प्रबन्धन नहीं किया जा रहा है।**

शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि **गोपालकों/गोस्वामियों/पशुपालकों द्वारा अपने स्वामित्व के गोवंशों को दूध निकालने या अनुपयोगी होने की स्थिति में सड़कों/सार्वजनिक स्थलों पर अल्पावधि/हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त गोपालक/गोस्वामी/पशुपालक पर उक्त कृत्य के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये भारी जुर्माना लगाकर ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।**

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुपालन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें:–

(1) महापौर/अध्यक्ष एवं नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से कान्हा गौशाला प्रबन्धन समिति का गठन किया जाये, जिसमें सभासद/पार्षद और निकाय क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी सदस्य होंगे।

(2) कान्हा गौशाला प्रबन्धन समिति के सदस्य गौशाला में निम्नलिखित का पर्यवेक्षण करते हुय अपना सुझाव लिखित रूप में संबंधित निकाय के महापौर/अध्यक्ष एवं नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे :–

I. गौशाला में भूसा एवं चारा की उपलब्धता।
II. गौशाला में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता।
III. गौशाला में ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के दृष्टिगत गोवंश के शेड के चारों ओर समुचित ढंग से पर्दे/झूल/अलाव की व्यवस्था।
IV. गौशाला में वृक्षारोपरण की स्थिति।
V. गौशाला में संरक्षित गोवशों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति।
VI. गौशाला में साफ–सफाई की व्यवस्था।
VII. संबंधित नगर निकाय में सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विचरण कर रहे गोवंशों को गौशाला में संरक्षित किये जाने के विषयगत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु गौशाला प्रभारी को सूचित करेंगे।

(3) नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा कान्हा गौशाला प्रबन्धन समिति द्वारा दिये गये सुझाव एवं कान्हा गौशाला प्रबंधन मैनुअल को ध्यान में रखते हुए कान्हा गौशाला प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी, जिस पर अतिशीघ्र निकाय के बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तदनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(4) अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने निकाय (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) द्वारा संचालित कान्हा गौशाला में साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल चारे–भूसे की उपलब्धता पशुओं के स्वास्थ्य इत्यादि के निरीक्षण हेतु पाक्षिक रूप में एक बार अवश्य गौशाला का भ्रमण किया जायेगा तथा उक्त भ्रमण का फोटोग्राफ कान्हा गौशाला पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(5) नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा निकाय द्वारा संचालित गौशाला में संरक्षित गोवंशों हेतु आवश्यक 01 वर्ष के लिए भूसे का क्रय सीजन (अप्रैल–मई) में प्रत्येक दशा में कर ली जाये तथा उक्त हेतु पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि Off Season में भूसे के क्रय करने में निकायों को अत्यधिक व्यय भार का वहन करना ना पड़े।

(6) भूसे एवं हरे चारे का क्रय शहर के आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों से किया जाये, जिससे क्रय की लागत कम की जा सके। गोवंश के चारे में यथासंभव हरे चारे की भी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

(7) ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के दृष्टिगत गोवंश के शेड के चारों ओर समुचित ढंग से पर्दे/झूल/अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(8) शासन के संज्ञान में आया है कि अधिकांश गौशालाओं में वृक्षारोपण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौशाला में विशेष रूप से वृक्षारोपण करायी जाये ताकि प्राकृतिक छाया और बायो फेंसिंग तैयार हो।

(9) गो–आश्रय स्थल पर पशुओं की देख–रेख एवं सुरक्षा हेतु पशु रक्षक/श्रमिक की व्यवस्था की जाय। उक्त हेतु व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा यथा संभव अपने स्वयं के संसाधनों से की जायेगी।

(10) गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बंध्याकरण, टीकाकरण के साथ–साथ मृत पशुओं का शव परीक्षण इत्यादि का कार्य, पशुपालन विभाग के सक्षम पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराया जाय।

(11) पशुपालक द्वारा स्वामित्व के पशुओं को निराश्रित/बेसहारा छोड़ने पर रोक लगाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जाये।

उक्त के विषयगत गोवंशों/पशुओं द्वारा निकाय की अवस्थापना सुविधाओं (यथा–सड़क/नाली के क्षतिग्रस्त होने, मल–मूत्र, गोबर, इत्यादि से सीवर चोक होने, इत्यादि) को हुये नुकसान का मूल्यांकन करते हुये निकाय की कार्यकारिणी/बोर्ड से अनुमोदनोपरांत प्रथम/द्वितीय/अनुवर्ती कृत्यों के लिए जुर्माने की धनराशि का निर्धारण किया जाये।

उक्त के अतिरिक्त स्वामित्व वाले उपर्युक्त गोवंशों/पशुओं को गौशाला /कांजी हाउस में संरक्षित किये जाने की स्थिति में उनके आहार एवं रख–रखाव पर भारित व्यय की धनराशि को भी उपर्युक्त जुर्माने की धनराशि के साथ वसूल की जाये।

(12) पशुपालकों/गोवंश स्वामियों पर लगाये गये जुर्माना एवं गौशाला /कांजी हाउस में संरक्षित किये जाने की स्थिति में उनके आहार एवं रख–रखाव पर भारित व्यय की धनराशि के विषयगत एक पृथक रजिस्टर बनायी जाय तथा उक्त रजिस्टर में गोवंश/पशु को पकड़े जाने की तिथि, गोवंश/पशु के स्वामी का नाम एवं पता, गोवंश के छोड़े जाने की तिथि एवं वसूली गयी जुर्माना की धनराशि इत्यादि अंकन अनिवार्यतः किया जाय।

(13) पशुपालकों/गोवंश स्वामियों पर लगाये गये जुर्माना एवं गौशाला /कांजी हाउस में संरक्षित किये जाने की स्थिति में उनके आहार एवं रख–रखाव पर भारित व्यय की धनराशि का उपयोग केवल गौशाला के संचालन में ही किया जायेगा।

(14) उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।